भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4014
दिनांक 25 मार्च, 2025/ 4 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आदर्श जेल सहिंता

4014. श्री दिलीप शइकीयाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आदर्श जेल सहिंता बनाने के पश्चात् सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): गृह मंत्रालय ने वर्ष 2016 में एक आदर्श कारागार नियमावली तैयार की थी और इसे 30.5.2016 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में अपनाने के लिए प्रसारित किया था। आदर्श कारागार नियमावली, 2016 का उद्देश्य देश भर की जेलों और सुधार संस्थानों को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों में एकरूपता लाना है। गृह मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर विभिन्न पत्रों और कारागार अधिकारियों के साथ आयोजित बैठकों के माध्यम से आदर्श कारागार नियमावली को अपनाने के मामले का अनुसरण करता रहा है।

इसके परिणामस्वरूप, 20 राज्यों और सभी 8 संघ राज्य क्षेत्रों ने आदर्श कारागार नियमावली, 2016 के प्रावधानों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अपनाने की पुष्टि की है। 8 राज्यों द्वारा अभी भी आदर्श कारागार नियमावली को अपनाया जाना शेष है।

******